जीएसटी और कर सुधारों पर मंथन, विकसित भारत-2047 की जरूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

- दो दिवसीय सेमिनार में जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

आज समाज नेटवर्क

चंडीगढ़। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में ह्वविकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठनह्ल विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, ह्वजीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावाह्ल विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की। इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरूआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कर संग्रह की तुलना फूल को नुकसान पहुंचाए बिना उससे रस लेने वाली मधुमक्खी से की। उन्होंने कहा कि प्रभावी कर व्यवस्था की बुनियाद करदाताओं का विश्वास है। इसे मजबूत करने के लिए कर प्रणाली का सरल, निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार और अकादमिक विमर्श जरूरी हैं। सेमिनार की आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की।

लुधियाना के जीएसटी आयुक्त (अपील) एवं आईआरएस अधिकारी कुमार गौरव धवन ने ह्वकर विभाग का रोडमैप : 2026-2047ह्ल विषय पर कर प्रशासन की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं, जालंधर स्थित क्रेडफिन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक वी.के. सरीन ने उद्योग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का दृष्टिकोण रखते हुए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने, निवेश के अनुकूल नीतियां बनाने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने की जरूरत पर जोर दिया।

जीएसटी और कर सुधारों पर मंथन, विकसित भारत-2047 की ज़रूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

एसडी कॉलेज में दो दिवसीय सैमीनार सम्पन्न, जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

चंडीगढ़, 10 अक्तूबर (विशेष संवाददाता): विकसित भारत - 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार को महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 = विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की। इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। सेमिनार की आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की। चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्राइडेंट लिमिटेड के कर सलाहकार संजय मल्होत्रा ने मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटी व्यवस्था को सरल और व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ कारोबारियों के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है।

एसडी कॉलेज में जीएसटी और कर सुधारों पर हुए दो दिवसीय सैमीनार का दृश्य। (छाया : राकेश शाह)

अजीत समाचार
उत्तर भारत का सम्पूर्ण अख़बार
11-Oct-2026
Page: 5
https://www.ajitsamachar.com/20261011/20/5/1_1.cms

जीएसटी और कर सुधारों पर मंथन, विकसित भारत-2047 की ज़रूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

एसडी कॉलेज में दो दिवसीय सैमीनार सम्पन्न, जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

चंडीगढ़, 10 अक्तूबर (विशेष संवाददाता): विकसित भारत - 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार को महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 = विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की। इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। सेमिनार की आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की। चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्राइडेंट लिमिटेड के कर सलाहकार संजय मल्होत्रा ने मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटी व्यवस्था को सरल और व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ कारोबारियों के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है।

एसडी कॉलेज में जीएसटी और कर सुधारों पर हुए दो दिवसीय सैमीनार का दृश्य। (छाया : राकेश शाह)

जीएसटी और कर सुधारों पर मंथन, विकसित भारत-2047 की जरूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

अमूल्या/देवभूमि मिरर

चंडीगढ़। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-'चासलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की।

इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था।

कर सुधारों पर मंथन, विकसित भारत-2047 की जरूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

वैभव न्यूज ■ चंडीगढ़

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 – विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की।

एसडी कॉलेज में दो दिवसीय सेमिनार संपन्न, जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

जीएसटी और कर सुधारों पर मंथन, विकसित भारत-2047 की जरूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में ह्लविकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठनह्ल विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया।

समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, ह्लजीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावाह्ल विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की।

इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरूआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कर संग्रह की तुलना फूल को नुकसान पहुंचाए बिना उससे रस लेने वाली मधुमक्खी से की। उन्होंने कहा कि प्रभावी कर व्यवस्था की बुनियाद करदाताओं का विश्वास है। इसे मजबूत करने के लिए कर प्रणाली का सरल, निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार और अकादमिक विमर्श जरूरी हैं। सेमिनार की आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की। चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्राइडेंट लिमिटेड के कर सलाहकार संजय मल्होत्रा ने मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटी व्यवस्था को सरल और व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ कारोबारियों के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है। लुधियाना के जीएसटी आयुक्त (अपील) एवं आईआरएस अधिकारी कुमार गौरव धवन ने ह्लकर विभाग का रोडमैप : 2026-2047ह्ल विषय पर कर प्रशासन की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं, जालंधर स्थित क्रेडफिन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक वी.के. सरीन ने उद्योग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का दृष्टिकोण रखते हुए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने, निवेश के अनुकूल नीतियां बनाने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तकनीक आधारित प्रशासन को भी महत्वपूर्ण बताया।

उद्घाटन सत्र के बाद ह्लजीएसटी 2.0 : सरल, पूर्वानुमान योग्य और विकासोन्मुख कर व्यवस्था की ओरह्ल विषय पर पैनल चर्चा हुई। इसमें वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद ह्लएक राष्ट्र, एक करह्ल की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि कर व्यवस्था के सरलीकरण का आकलन केवल नियमों में बदलाव से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी किया जाना चाहिए कि करदाताओं, कर विशेषज्ञों और प्रशासन का अनुपालन में लगने वाला समय और खर्च कितना कम हुआ है।

दैनिक जागरण 12/10/26

विकसित भारत को सरल-पारदर्शी कर व्यवस्था पर जोर

- जीएसटी सुधारों से कारोबारियों का अनुपालन आसान करने और लागत घटाने पर चर्चा
- राष्ट्रीय सेमिनार में विशेषज्ञों ने डिजिटल कर प्रणाली, साइबर सुरक्षा-जवाबदेही पर रखे विचार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : विकसित भारत-2047 का लक्ष्य पाने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना जरूरी है। कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान करने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कालेज में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएसएसआर), नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित हुआ। इसमें शिक्षाविदों, कर विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने सुधारों पर चर्चा की।

बद्दी के कुलपति प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर प्रणाली में डेटा और साइबर सुरक्षा, आसान अनुपालन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता की जरूरत बताई।

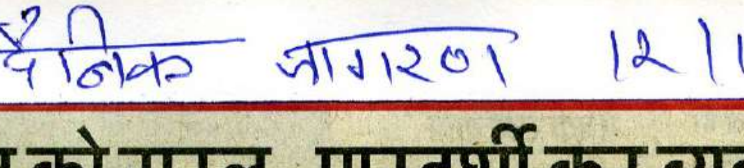

'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' कार्यक्रम में भाग लेने वाले वक्ता • कालेज

'जीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' पैनल में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई।

चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम मौंगिया और चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाता जागरूकता पर जोर दिया। डा. रिशव राय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता तथा सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका बताई।

देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के कुलपति प्रो. करमजीत सिंह ने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होना एकीकृत कर प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने करदाताओं पर अनावश्यक बोझ डाले बिना कर संग्रह और भरोसे को प्रभावी व्यवस्था के लिए जरूरी बताया।

ट्राइडेंट लिमिटेड के कर सलाहकार संजय मल्होत्रा ने पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता आसान करने की बात कही। लुधियाना के जीएसटी आयुक्त (अपील) कुमार गौरव धवन ने 2026 से 2047 तक कर प्रशासन की रूपरेखा रखी। प्रिंसिपल डा. अजय शर्मा ने निरंतर सुधार और अकादमिक विमर्श पर जोर दिया।

दैनिक सवेरा 12/10/26

जीएसटी और कर सुधारों पर मंथन, विकसित भारत-2047 की जरूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

■ एसडी कॉलेज में दो दिवसीय सेमिनार संपन्न, जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

सवेरा न्यूज /नीना

चंडीगढ़ 11 अक्तूबर : विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया।

समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की।

इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार और अकादमिक विमर्श जरूरी हैं। सेमिनार की आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की। चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्राइडेंट लिमिटेड के कर सलाहकार संजय मल्होत्रा ने मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटी व्यवस्था को सरल और व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया।

लुधियाना के जीएसटी आयुक्त (अपील) एवं आईआरएस अधिकारी कुमार गौरव धवन ने 'कर विभाग का रोडमैप : 2026-2047' विषय पर कर प्रशासन की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं, जालंधर स्थित क्रेडफिन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक वी.के. सरीन ने उद्योग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का दृष्टिकोण रखते हुए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने, निवेश के अनुकूल नीतियां बनाने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तकनीक आधारित प्रशासन को भी महत्वपूर्ण बताया।

उद्घाटन सत्र के बाद 'जीएसटी 2.0 : सरल, पूर्वानुमान योग्य और विकासोन्मुख कर व्यवस्था की ओर' विषय पर पैनल चर्चा हुई। इसमें वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद 'एक राष्ट्र, एक कर' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि कर व्यवस्था के सरलीकरण का आकलन केवल नियमों में बदलाव से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी किया जाना चाहिए कि करदाताओं, कर विशेषज्ञों और प्रशासन का अनुपालन में लगने वाला समय और खर्च कितना कम हुआ है।

एसडी कॉलेज में दो दिवसीय सेमिनार संपन्न

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

चंडीगढ़(विज) : गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चासलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार और अकादमिक विमर्श जरूरी हैं।

विकसित भारत-2047 की जरूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

एसडी कॉलेज में दो दिवसीय सेमिनार संपन्न, जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

फास्ट मीडिया/चंडीगढ़/अंजू मोदगिल। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की। इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उद्घाटन सत्र के बाद 'जीएसटी 2.0 : सरल, पूर्वानुमान योग्य और विकासोन्मुख कर व्यवस्था की ओर' विषय पर पैनल चर्चा हुई। इसमें वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद 'एक राष्ट्र, एक कर' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि कर व्यवस्था के सरलीकरण का आकलन केवल नियमों में बदलाव से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी किया जाना चाहिए कि करदाताओं, कर विशेषज्ञों और प्रशासन का अनुपालन में लगने वाला समय और खर्च कितना कम हुआ है।

एसडी कॉलेज में दो दिवसीय सेमिनार संपन्न, जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

चंडीगढ़ (हिमप्रभा ब्यूरो)। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है।

गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की। इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कर संग्रह की तुलना फूल को नुकसान पहुंचाए बिना उससे रस लेने वाली मधुमक्खी से की। उन्होंने कहा कि प्रभावी कर व्यवस्था की बुनियाद करदाताओं का विश्वास है। इसे मजबूत करने के लिए कर प्रणाली का सरल, निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने अतिथियों,

वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार और अकादमिक विमर्श जरूरी हैं।

सेमिनार की आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की। चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्राइडेंट लिमिटेड के कर सलाहकार संजय मल्होत्रा ने मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटी व्यवस्था को सरल और व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ कारोबारियों के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है। लुधियाना के जीएसटी आयुक्त (अपील) एवं आईआरएस अधिकारी कुमार गौरव धवन ने 'कर विभाग का रोडमैप : 2026-2047' विषय पर कर प्रशासन की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं, जालंधर स्थित क्रेडफिन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक वी.के. सरीन ने उद्योग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का दृष्टिकोण रखते हुए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने, निवेश के अनुकूल नीतियां बनाने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने की जरूरत पर जोर दिया।

सेमिनार जीएसटी और कर सुधारों पर मंथन, विकसित भारत-2047 की जरूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर जोर

एसडी कॉलेज में जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

➡ डिजिटल सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर मंथन

जगमार्ग न्यूज

चंडीगढ़। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया।

समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चासलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की।

इससे पहले शुक्रवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कर संग्रह की तुलना फूल को नुकसान पहुंचाए बिना उससे रस लेने वाली मधुमक्खी से की। उन्होंने कहा कि प्रभावी कर व्यवस्था की बुनियाद करदाताओं का विश्वास है। इसे मजबूत करने के लिए कर प्रणाली का सरल, निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है।

पंजाब केसरी 11/10/26

जी.एस.टी. सुधारों से कारोबार आसान बनाने पर जोर

एस.डी. कॉलेज में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न, विकसित भारत-2047 के अनुरूप कर व्यवस्था बनाने पर मंथन

चंडीगढ़, 10 अक्तूबर (रश्मि हंस): विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना जरूरी है। कारोबारियों के लिए कर अनुपालन आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने पर जोर दिया गया। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जी.एस.टी. और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आई.सी.एस.एस.आर., नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और कर विशेषज्ञों ने कर सुधारों पर विचार-विमर्श किया।

समापन सत्र में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आसान अनुपालन की जरूरत बताई। उन्होंने ए.आई. आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

करदाताओं को जागरूक करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विचार रखे

'जी.एस.टी. 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर पैनल चर्चा में इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, करदाताओं को जागरूक करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विचार रखे गए। सी.ए. शुभम मोंगिया, सी.ए. चेतन चंदगोठिया, डॉ. रिशव रॉय और सी.ए. नितिन महाजन ने कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत बताई। इससे पहले उद्घाटन सत्र में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 में जी.एस.टी. लागू करना एकीकृत कर प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि प्रभावी कर व्यवस्था की बुनियाद करदाताओं का विश्वास है, जिसे सरल और पारदर्शी व्यवस्था से मजबूत किया जा सकता है। मुख्य वक्ता संजय मल्होत्रा ने पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान बनाने तथा कारोबारियों के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। जी.एस.टी. आयुक्त (अपील) एवं आई.आर.एस. अधिकारी कुमार गौरव धवन ने वर्ष 2026 से 2047 तक कर प्रशासन की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की। विशेषज्ञों ने कहा कि कर सुधारों का आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि अनुपालन में लगने वाला समय और खर्च कितना कम हुआ है।

एसडी कॉलेज में दो दिवसीय सेमिनार संपन्न, जीएसटी में सरलता और पारदर्शिता पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

चंडीगढ़, स्टेट समाचार

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना जरूरी है। साथ ही, कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत घटाने और करदाताओं का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में 'विकसित भारत-2047 के लिए जीएसटी और कर व्यवस्था का पुनर्गठन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को संपन्न हो गया। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था, कर सुधारों और देश की भावी आर्थिक जरूरतों पर मंथन किया। समापन सत्र में शनिवार रो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, बद्दी के वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप वालिया ने कहा कि सरकारी खर्च कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रो. भारत भूषण सिंगला ने डिजिटल कर व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने एआई आधारित प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के महासचिव डॉ. एससी वैद्य ने निरंतर सीखने और नवाचार को जरूरी बताया। डॉ. मोनिका मित्तल ने सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोजन सचिव डॉ. रुचि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिए गए। वहीं, 'जीएसटी 2.0 : विकसित भारत-2047 की दिशा में पारदर्शिता और कारोबार को बढ़ावा' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मोडवैट और वैट से जीएसटी तक के सफर पर चर्चा हुई। सीए शुभम मोंगिया और सीए चेतन चंदगोठिया ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार, आसान अनुपालन और करदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। डॉ. रिशव रॉय और सीए नितिन महाजन ने उद्यमिता और सामुदायिक विकास में कर व्यवस्था की भूमिका रेखांकित की। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत देश को एकीकृत कर प्रणाली की।

GGDSD College hosts national seminar on GST reforms

THE SAVERA TIMES NEWS NETWORK

National seminar examines tax transparency, digitalisation, compliance and economic competitiveness

CHANDIGARH: Goswami Ganesh Dutta Sanatan Dharma College (GGDSD), Sector 32-C, in collaboration with the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi, organised a two-day national seminar on "Reimagining GST and Tax Architecture for Viksit Bharat 2047" on October 9 and 10. The event brought together academics, tax professionals, researchers and policymakers to discuss a transparent, accountable and growth-oriented tax system.

Principal Dr Ajay Sharma welcomed participants, while organising secretary Dr Ruchi Sharma presented the concept note. The seminar received more than 100 research papers from several states. Chief guest Prof. Karamjeet Singh, Vice-Chancellor of Guru Nanak Dev University, stressed trust, fairness and transparency in taxation. He proposed bringing petroleum and real estate under GST, establishing a National Appellate Authority and creating a university-level GST research centre.

Keynote speaker Sanjay Malhotra advocated simpler registration and filing, timely refunds and technology-driven administration. IRS officer Kumar Gaurav Dhawan outlined a roadmap for transitioning towards a high-trust, low-friction tax system. The Book of Abstracts was released.

Discussions examined GST reforms, digital transformation, sustainable taxation, revenue productivity, MSMEs, exports and global competitiveness. Panellists highlighted input tax credit reforms, simpler compliance, taxpayer awareness, entrepreneurship and community development.

During the valedictory session, Prof. Pradeep Walia, Vice-Chancellor of Maharaja Agrasen University, Baddi, called for public spending to prioritise skills, employment, innovation, manufacturing and agricultural incomes. Prof. Bharat Bhushan Singla highlighted digital-tax challenges, including privacy, cybersecurity, compliance burdens and litigation delays, urging accountability in AI-driven administration.

GGDSD College Society General Secretary Dr S. C. Vaidya emphasised continuous learning and innovation. Dr Monika Mittal presented the seminar report, while Dr Ruchi Sharma delivered the vote of thanks. Certificates were distributed to paper presenters.

The seminar concluded with a call for predictable taxation, stronger taxpayer trust and productive public spending to support India's 2047 development goals.